

न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, भुसावर



घनश्याम शर्मा पुत्र ऊदल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम तरगवां तहसील
भुसावर जिला भरतपुर राज०

प्रार्थी
बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील भुसावर
जिला भरतपुर

अप्रार्थी
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट।

श्रीमान जी,

प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से निम्न प्रकार पेश है:-

- 1- यह कि आराजी खसरा नम्बर 236 रकवा 0.4900, 543/507 रकवा 0.1800, 545/219 रकवा 0.0700 किता 3 कुल रकवा 0.7400 हैक्टेयर से 1/7 हिस्सा वाके ग्राम तरगवां तहसील भुसावर जिला भरतपुर राजस्थान में स्थित है। उक्त आराजी में प्रार्थी खातेदार काशतकार है जो खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।
- 2- यह कि आराजी खसरा नम्बर 236 रकवा 0.4900, 543/507 रकवा 0.1800, 545/219 रकवा 0.0700 किता 3 कुल रकवा 0.7400 हैक्टेयर से 1/7 हिस्सा वाके ग्राम तरगवां तहसील

अनुमति


भुसावर जिला भरतपुर राजस्थान में प्रार्थी अपने हिस्सेनुसार खातेदार व काश्तकार है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी घनश्याम पुत्र ऊदल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम तरगवां सहवन से गलत दर्ज व अंकित हैं जबकि प्रार्थी घनश्याम पुत्र ऊदल के समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी का सही नाम घनश्याम शर्मा पुत्र ऊदल है। जिससे प्रार्थी को राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा कृषि भूमि पर प्रदत्त सहायतों से भी वंचित होना पड रहा है। प्रार्थी का नाम सहवन से राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में घनश्याम शर्मा पुत्र ऊदल के स्थान पर घनश्याम पुत्र ऊदल गलत अंकित दर्ज है। जिसको राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में गलत नाम घनश्याम पुत्र ऊदल के स्थान पर सही नाम घनश्याम शर्मा पुत्र ऊदल को प्रार्थी शुद्ध कराने हेतु कई बार अप्रार्थी के कार्यालय में गया लेकिन अप्रार्थी ने प्रार्थी को टालमटोल करते हुए कार्यालय से लौटा दिया। गलत इन्द्राज को दुरुस्त नहीं किया।

- 3- यह कि दिनांक 10.02.2025 को प्रार्थी ने अप्रार्थी के कार्यालय में जाकर प्रार्थी के जमाबन्दी में अंकित नाम घनश्याम शर्मा पुत्र ऊदल के स्थान पर घनश्याम पुत्र ऊदल की हो रही अशुद्धि को दुरुस्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी की जमाबन्दी में अंकित घनश्याम पुत्र ऊदल के स्थान पर घनश्याम शर्मा पुत्र ऊदल करने से साफ इनकार कर दिया और प्रार्थी को वापिस लौटा दिया और कहा कि नाम को शुद्ध करना हमारा काम नहीं है। प्रार्थी के पास न्यायालय श्रीमानजी की शरण लेने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमानजी के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक हो गया है।

घनश्याम

//3//

अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड आराजी खसरा नम्बर 236 रकवा 0.4900, 543/507 रकवा 0.1800, 545/219 रकवा 0.0700 किता 3 कुल रकवा 0.7400 हैक्टेयर से 1/7 हिस्सा वाके ग्राम तरगवां तहसील भुसावर जिला भरतपुर राजस्थान में प्रार्थी घनश्याम पुत्र ऊदल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम तरगवां तहसील भुसावर के स्थान पर घनश्याम शर्मा पुत्र ऊदल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम तरगवां तहसील भुसावर राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कराये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश है।



प्रार्थी :-

घनश्याम शर्मा पुत्र ऊदल जाति ब्राह्मण
निवास ग्राम तरगवां तहसील भुसावर
जिला भरतपुर राज0 दिनांक :